तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण
28/7/20	वकील प्रार्थी व पैरोकार राज उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीनी ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अशुद्ध दर्ज होना कथन करते हुए शुद्ध करने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध मे तहसीलदार राजगढ़ से प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार विवादित कृषिभूमि की जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम नामान्तरकरण के जरिए दर्ज हुआ है जो राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा प्राप्त कुर्सीनामा व उसकी की गई जाँच के आधार पर दर्ज किया जाता है व सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच के बाद अपने न्यायिक विवेक का उपयोग करते हुए व विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए तस्दीक किया जाता है जिस कारण प्रार्थीया का नाम वर्तमान जमाबन्दी में विहित प्रक्रिया के अधीन दर्ज हुआ है। जिसमें धारा 136 L.R. Act के प्रावधान लागू नहीं होते है। तथा प्रार्थीया का यह प्रार्थना पत्र धारा 136 L.R. Act के तहत पोषणीय नहीं होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थीया चाहे गये अनुतोष के लिए अन्य कानूनी विकल्पों के प्रयोग हेतु स्वतंत्र है। अतः प्रार्थीया का यह प्रार्थना पत्र संधारणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार हो कर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)